कार्यालय पुलिस उप–अधीक्षक वृत उत्तर नगर अजमेर

कमांकः–ईमेल दिनांकः–01.10.2020

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय
जिला अजमेर।

विषयः–सम्पर्क पोर्टल पर प्राप्त परिवाद द्वारा ज्ञानेश कुमार निवासी S-1,JHARKHAND APPARTMENT, JHARKHAND MODE, GENERAL SAGAT SINGH MARG, KHATIPURA जयपुर के सम्बन्ध मे।
प्रसंगः–सम्पर्क पोर्टल कमांक 09200678707113 के सन्दर्भ मे।

महोदय

उपरोक्त विषय एवं प्रसंग के सन्दर्भ मे निवेदन है कि परिवादी ने सम्पर्क पोर्टल पर परिवाद दिया कि–दिनांक 22.09.2020 को प्रमुख समाचार पत्र राजस्थान पत्रिका जयपुर संस्करण मे प्रकाशित खबर ब्याजखोर के चंगूल मे फंसे कर्मचारी ने दी जान। दस रूपये सैंकडा के ब्याज के चंगूल मे फंसा पशुपालन विभाग का कर्मचारी प्रहलाद सिंह सोमवार सुबह अपने घर में फंदे पर लटका मिला पुलिस ने मामले में सुसाईड नोट बरामद किया है। जिसमे उसने ब्याजखोरो से परेशान होकर आत्महत्या कि बात लिखी है। पुलिस ने सुसाईड नोट को जांच मे रखते हुए परिजनो की रिपोर्ट पर सोनू राणा , कानसिंह, गणपतसिंह व अन्य के खिलाफ आत्महत्या के लिये उकसाने का मामला दर्ज किया।

आदि परिवाद कि जांच रिपोर्ट थानाधिकारी थाना सिविल लाईन से चाहि गयी अवगत कराया कि–दिनांक 21.09.20 को श्री सुमेर सिंह पुत्र श्री लादू सिंह जाति रावणा राजपूत उम्र 39 साल निवासी आम की नाडी लोहाखान अजमेर ने उपस्थित थाना होकर एक लिखित रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि ,कि आरोपीगणो द्वारा मैरे भाई प्रहलाद सिंह पर ब्याज/रूपये आदि का लेकर दबाव बनाया जा रहा है इस कारण से मैरे भाई आत्महत्या कर ली है आदि रिर्पोट से मामला अपराध धारा 306 भादस का पाया जाने पर प्रकरण संख्या 262/20 धारा 306 आईपीसी दिनांक 21.09.20 दर्ज किया गया गया। तथा उक्त प्रकरण अनुसंधान जारी है।
रिपोर्ट अवलोकनार्थ प्रेषित है।

भवदीय

डॉ.प्रियंका
पुलिस उप अधीक्षक
वृत उत्तर नगर अजमेर

Scanned by CamScanner